रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228065
CG-DL-E-01072021-228065

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ़ 10, 1943
No. 266] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

**मि. सं. 1-10/ 2020(डीईबी-I).**—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 12 के खंड (ञ) के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ:-** (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जाएगा।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 (यहां मूल विनियम के रूप में संदर्भित) में, विनियम 3 के खंड (क) उप-खंड (i) में, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

   "परंतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग की आवश्यकताएं अगले तीन शैक्षणिक वर्षों यानी 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 के लिए मान्य होंगी। तत्पश्चात आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-2025 (जुलाई 2024 से आरंभ होने वाला सत्र) और उसके आगे के लिए समीक्षा की जाएगी।"

3. उक्त मूल विनियमों में, विनियम 3 के खंड (ख) उप-खंड (क) में निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"परंतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग की आवश्यकताएं अगले तीन शैक्षणिक वर्षों यानी 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 के लिए मान्य होंगी। तत्पश्चात आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-2025 (जुलाई 2024 से आरंभ होने वाला सत्र) और उसके आगे के लिए समीक्षा की जाएगी।"

4. उक्त मूल विनियमों में, विनियम 3 के खंड (ख) उप-खंड (ख) (ii) में, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"परंतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग की आवश्यकताएं अगले तीन शैक्षणिक वर्षों यानी 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 के लिए मान्य होंगी। तत्पश्चात आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-2025 (जुलाई 2024 से आरंभ होने वाला सत्र) और उसके आगे के लिए समीक्षा की जाएगी।"

रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./131/2021-22]

**नोट :** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में मि. सं. 1-1/2020 (डीईबी-I) दिनांक 4 सितंबर, 2020 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे।

## UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2021

**F. No. 1-10/2020 (DEB-I).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) with the previous approval of Central Government, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations to amend the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020, namely:—

1. **Short title and commencement.─(**1) These regulations may be called the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) (Amendment) Regulations, 2021.

(2) These shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 (herein referred as Principal Regulations), in regulation 3 in clause (A) sub-clause (i), the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the NAAC and NIRF Ranking requirements shall be valid for next three academic years i.e 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Thereafter shall be reviewed by the Commission for the academic session 2024-2025(session beginning July 2024) and onwards."

3. In the said Principal Regulations, in regulation 3 in clause (B) sub-clause (a), the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that the NAAC and NIRF Ranking requirements shall be valid for next three academic years i.e. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Thereafter shall be reviewed by the Commission for the academic session 2024-2025(session beginning July 2024) and onwards."

4. In the said Principal Regulations, in regulation 3 in clause (B) sub-clause (b)(ii), the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the NAAC and NIRF Ranking requirements shall be valid for next three academic years i.e. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Thereafter shall be reviewed by the Commission for the academic session 2024-2025 (session beginning July 2024) and onwards."

RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./131/2021-22]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 *vide* F. No. 1-1/2020(DEB-I) dated 4th September, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.01 20:34:40 +05'30'